21/08/22

[illegible] के [illegible] गये के सम्बन्ध में [illegible] हुई लेखों पत्रों के [illegible] अधिकारी एवं कुछ नहीं [illegible] अथवा [illegible] के कारण विलम्बित हो गयी व विभागीय विभागीय कार्यों के अधिक [illegible] के निर्माण का [illegible] तक का [illegible] न पहुंचाने, वहीं विभागीय के [illegible] करने का [illegible] सिर्फ [illegible] के उपरान्त भी [illegible] ऐसा नहीं करने के विभागीय का [illegible] बन गया हो वर्तमान में [illegible] व विभागीय के [illegible] खुले हुए हैं [illegible] वर्तमान में सहकोष तह क्षेत्र के [illegible] बनाए रखना न्यायालय उचित नहीं समझती है लिहाजा इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 22/07/20 निरस्त कर उक्त अवमान प्रकरण निस्तारित कर खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय स्तुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
SDO (गुड़ामालानी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:01 IST
Reason: SelfAttested